

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

कमांक सी-3-15/2014/1-3

भोपाल, दिनांक 01-12-2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, MOPRO ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश ।

विषय:-

शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर
संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं
में सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु
कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (computer proficiency
certification test- cpct) आयोजित होने की समयावधि में
संशोधन ।

संदर्भ:-

इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26 फरवरी 2015.

संदर्भित परिपत्र कमांक-सी-3-15/2014/1-3, दिनांक-26 फरवरी
2015 की कण्डिका 3 (11) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

“ किसी एक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के अवसरों की कोई अधिकतम
सीमा निर्धारित नहीं है , नियत योग्यता का कोई भी व्यक्ति कितनी
भी बार परीक्षा में बैठ सकता है । यदि कोई व्यक्ति अपने प्रतिशतों
में सुधार के लिए पश्चात्पूर्वी परीक्षाओं में बैठना चाहे तो उसे
अनुमति होगी । परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी भी 6 माह पश्चात्
आयोजित परीक्षा में पुनः सम्मिलित हो सकेगा ।”

2- राज्य शासन द्वारा उक्त कंडिका 3 (11) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

“ किसी भी अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के अवसरों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, नियत योग्यता का कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार परीक्षा में बैठ सकता है । यदि कोई अभ्यर्थी अपने प्रतिशतों/ दक्षता में सुधार के लिए पश्चात्वर्ती परीक्षाओं में बैठना चाहे तो उसे इसकी अनुमति होगी । ”

3- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी० बी० पडवार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन


सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक-सी-3-15/2014/1/3
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक ०१-१२-२०१६

- 1- राज्यपाल के सचिव, म०प्र० राजभवन, भोपाल ।
- 2- महालेखाकार, म०प्र० ग्वालियर/भोपाल ।
- 3- रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म०प्र०, जबलपुर
- 4- प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, म०प्र० ।
- 5- मा० मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म०प्र० ।
- 6- महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म०प्र० भोपाल ।
- 7- अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल ।
- 8- अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल ।
- 9- प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 10- प्रमुख सचिव, म०प्र० विधान सभा सचिवालय, भोपाल ।

- 11—मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म०प्र० भोपाल ।
- 12—सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन, भोपाल ।
- 13—सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल ।
- 14—सचिव, लोक सेवा आयोग म०प्र० इन्दौर ।
- 15—मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म०प्र० ।
- 16—महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म०प्र० उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर ।
- 17—आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म०प्र० भोपाल ।
- 18—समस्त जिला कोषालय अधिकारी, म०प्र० ।
- 19—मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल ।
- 20—अध्यक्ष, म०प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल ।
- 21—अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(सी०बी० पडवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग